अपील सूचना का अधिकार संख्या 54/2022 (GCMS 2022/194)(आईटीआई पोर्टल नं .212331946588447) (पोस्टल ऑर्डर नं. 59एफ/131422) रतनलाल पुत्र मुरारी लाल निवासी नागौर कॉलोनी, हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर (राजस्थान) बनाम लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित हुए। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उन्होंनें अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.222 से लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक बिन्दु की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में सूचना की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाओं की सत्यापित उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

मुरारीलाल बनाम सरकार आदेश दिनांक 01.03.1995 व आदेश दिनांक 06.02.1995 की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2441 दिनांक 06.06.2022 से अ[illegible] मूल पत्र प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर [illegible] और प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार ने अपने पत्रांक जि.अभि./22[illegible]36 दिनांक 26.08.2022 [illegible] अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पत्रांक 2421 दिनांक 06.06.2022 जो इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था। जिसक प्रति उत्तर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 84-85 दिनांक 05.07.2022 को अपीलार्थी रतनलाल को भिजवाया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पूर्व पत्र की प्रति इस पत्र के संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार ने अपने अपने पत्रांक 84—85 दिनांक 05.07.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ लेख है कि आपका आवेदन प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में दिनांक 06.06.2022 को प्राप्त हुआ। मुरारीलाल बनाम सरकार आदेश दिनांक 01.03.1995 व आदेश दिनांक 06.02.1995 की मूल पत्रावली की नकल चाही गई है। जिसकी रिकॉर्ड रूम में काफी तलाश की गई पत्र मे पत्रावली संख्या एवं प्रकरण संख्या का अंकन नहीं किया गया है। इस के बिना पत्रावली तलाश करने में काफी कठिनाई आ रही है। अतः पत्रावली का पूर्ण विवरण या प्रकरण संख्या है तो भिजवाने का श्रम करें, ताकि [illegible] सूचना भिजवाई जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:19 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को अपने उक्त पत्र दिनांक 05.07.2022 से उक्तानुसार निश्चित समयावधि में जवाब दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कल[illegible]गंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह स[illegible] के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधि[illegible] अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है यदि अपीलार्थी वांछित सूचना से सम्बन्धित पत्रावली संख्या,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अनवान् आदि की जानकारी उपलब्ध करा देवें तो उसे वांछित आदेश की सत्यापित प्रति "सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत जारी" अंकित करते हुए, उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील निरस्तारित की जाती है आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:19 IST
Reason: SelfAttested